न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 41/2021 (उदयपुर डिक्री)

लच्छा पिता रूपा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

1. श्रीमती वरदीबाई पत्नी स्वर्गीय लच्छा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. किशनलाल पिता स्वर्गीय लच्छा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती लीला पुत्री स्वर्गीय लच्छा जी पत्नी कन्हैयालाल डांगी, निवासी नेड़ियों की भागल, लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती गीता पुत्री स्वर्गीय लच्छा जी पत्नी चेतन जी डांगी, निवासी पलाना कला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती तुलसी स्वर्गीय लच्छा जी पत्नी जगदीश जी डांगी, निवासी रूपसागर आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मैसर्स आर्ची आर्केड (भागीदार फर्म) जरिये भागीदार दिनेश जैन पिता श्री हरिसिंह जैन, निवासी 80, मोती मगरी स्कीम, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती प्रेमलता पत्नी दिलीप कुमार मुन्दडा, निवासी 49/476, छोटी माहेश्वरियों की गली, धानमण्डी, उदयपुर/86, एम–1 रोड़, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
3. दिलीप कुमार मुन्दडा पिता रामचन्द्र जी मुन्दडा, निवासी 49/476, छोटी माहेश्वरियों की गली, धानमण्डी, उदयपुर/86, एम–1 रोड़, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
4. नारायणलाल पिता ऊंकारलाल जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. भंवरलाल पिता ऊंकारलाल जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. पन्नालाल पिता ऊंकारलाल जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

6/1. भूपेश पिता पन्नालाल जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

6/2. गौरव पिता पन्नालाल जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

6/3. श्रीमती मोड़ी बाई विधवा पन्नालाल जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:04 IST
Reason: SelfAttested

6/4. श्रीमती मधु पुत्री पन्नालाल जी पत्नी लक्ष्मीलाल डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।

7. श्रीमती हमेरी पत्नी स्वर्गीय वाला जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (मृतक नाम तर्क)

8. मोडीलाल पिता स्वर्गीय वाला जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

9. प्रकाश पिता स्वर्गीय वाला जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

10. किशन पिता स्वर्गीय वाला जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

11. श्रीमती मनोहरीबाई पुत्री स्वर्गीय वाला जी पत्नी हीरालाल जी डांगी, निवासी कानपुर, फला नदीवाला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

12. श्रीमती शान्ताबाई पुत्री स्वर्गीय वाला जी पत्नी छगन जी डांगी, निवासी कानपुर, फला धोरावाला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

13. श्रीमती भागू पुत्री स्वर्गीय वाला जी पत्नी शंकर जी डांगी, निवासी पुला, फला घोमटा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

14. गिरजा शंकर पिता भैरूलाल जी तेली, निवासी 2, गणेश टेकरी के पास, अलीपुरा, उदयपुर (राज.)

15. मुकेश पोरवाल पिता शेषमल जी पोरवाल, निवासी 20, धानमण्डी स्कूल मार्ग, धानमण्डी, उदयपुर (राज.)

16. श्रीमती किरण पालीवाल पत्नी राजकुमार जी बागोरा, निवासी 37—बी, खानपुरा कॉलोनी, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)

17. श्रीमती गीता मुन्दडा पत्नी विनोद कुमार जी मुन्दडा, निवासी धानमण्डी स्कूल मार्ग, धानमण्डी, उदयपुर (राज.)

18. श्रीमती रेखा कटारिया पत्नी अशोक जी कटारिया, निवासी न्यू भुपालपुरा, रामवाटिका के पास, ऑर्बिट कॉम्पलेक्स के सामने, उदयपुर (राज.)

19. अशोक कटारिया पिता रतनलाल जी कटारिया, निवासी न्यू भुपालपुरा, रामवाटिका के पास, ऑर्बिट कॉम्पलेक्स के सामने, उदयपुर (राज.)

20. संयम सिंघवी पिता श्री श्याम एस सिंघवी, निवासी 301, एन. रोड़, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)

21. पुरूषोत्तम पिता मांगीलाल जी वैरागी, निवासी 99, देवाली, उदयपुर (राज.)

22. घनश्याम राठी पिता श्री रमेशचन्द्र जी राठी, निवासी बी.एस.एन.एल. ऑफिस के सामने, हिरण मगरी सेक्टर नंबर 3, उदयपुर (राज.)

23. परसराम पिता अवताररराम जी माखीजा, निवासी 11—बी भुपालपुरा, रोड़ नंबर 5, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

24. केशवदास वीरवानी पिता द्वारकादास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी 130, एम. रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (मृतक) के बजाय :—

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:04 IST
Reason: SelfAttested

24/1. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी केशवदास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (पूर्व से रेकार्ड पर रे.सं. 26)

24/2. वासुदेव वीरवानी पिता केशवदास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी मयंक कॉलोनी, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पीछे, 100 फिट शोभागपुरा रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

24/3. मुकेश वीरवानी पिता केशवदास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी मयंक कॉलोनी, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पीछे, 100 फिट शोभागपुरा रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

24/4. श्रीमती कंचन पुत्री केशवदास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी 130, एम. रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर उदयपुर (राज.)

24/5. श्रीमती भावना पुत्री केशवदास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी 130, एम. रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

24/6. श्रीमती हर्षा पुत्री केशवदास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी 130, एम. रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

25. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी द्वारकादास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी 130, एम. रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

26. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी केशवदास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी 130, एम. रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

28. नगर विकास प्रन्यास उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान

का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड

अधिकारी गिर्वा अंतिम डिक्री दिनांक

10.02.2021 प्रकरण सं. 138 / 2019

———::———

उपस्थित :– 1. श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पो. सं. 7 से 10

3. श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक रेस्पो. सं. 4 से 6 / 4

4. श्री गणेशलाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14

5. श्री हुकमसिंह देवड़ा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

6. श्री अजयसिंह हाडा अभि.रे.सं. 15, 16, 17, 22, 23, 24/1 से 24/3

7. श्री सुखदेव बारबर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3

8. श्री कमलेश चौहान राज[illegible]भाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 28

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:04 IST
Reason: SelfAttested

(2) <u>प्रकरण संख्या 62/2021 (उदयपुर डिक्री)</u>

1. नारायणलाल पिता ऊंकारलाल जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. भंवरलाल पिता ऊंकारलाल जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. पन्नालाल पिता ऊंकारलाल जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :-

3/1. श्रीमती मोड़ी बाई विधवा पन्नालाल जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3/2. भूपेश पिता पन्नालाल जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3/3. श्रीमती मधु पुत्री पन्नालाल जी पत्नी लक्ष्मीलाल डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।

3/4. गौरव पिता पन्नालाल जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. मैसर्स आर्ची आर्केड (भागीदार फर्म) जरिये भागीदार दिनेश जैन पिता श्री हरिसिंह जैन, निवासी 80, मोती मगरी स्कीम, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती प्रेमलता पत्नी दिलीप कुमार मुन्दडा, निवासी 49/476, छोटी माहेश्वरियों की गली, धानमण्डी, उदयपुर/86, एम-1 रोड़, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
3. दिलीप कुमार मुन्दडा पिता रामचन्द्र जी मुन्दडा, निवासी 49/476, छोटी माहेश्वरियों की गली, धानमण्डी, उदयपुर/86, एम-1 रोड़, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती हमेरी पत्नी स्वर्गीय वाला जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (मृतक नाम तर्क)
5. मोडीलाल पिता स्वर्गीय वाला जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. प्रकाश पिता स्वर्गीय वाला जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. किशन पिता स्वर्गीय वाला जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, अखण्ड आश्रम के पास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती मनोहरीबाई पुत्री स्वर्गीय वाला जी पत्नी हीरालाल जी डांगी, निवासी कानपुर, फला [illegible], तह[illegible], जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:04 IST
Reason: SelfAttested

9. श्रीमती शान्ताबाई पुत्री स्वर्गीय वाला जी पत्नी छगन जी डांगी, निवासी कानपुर, फला धोरावाला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

10. श्रीमती भागू पुत्री स्वर्गीय वाला जी पत्नी शंकर जी डांगी, निवासी पुला, फला गोमटा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

11. लच्छा पिता रूपा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

11/1. श्रीमती वरदीबाई पत्नी स्वर्गीय लच्छा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

11/2. किशनलाल पिता स्वर्गीय लच्छा जी डांगी, निवासी शोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

11/3. श्रीमती लीला पुत्री स्व. लच्छा जी पत्नी कन्हैयालाल डांगी, निवासी नेड़ियों की भागल, लकड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

11/4. श्रीमती गीता पुत्री स्वर्गीय लच्छा जी पत्नी चेतन जी डांगी, निवासी पलाना कला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

11/5. श्रीमती तुलसी स्वर्गीय लच्छा जी पत्नी जगदीश जी डांगी, निवासी रूपसागर आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

12. गिरजा शंकर पिता भैरूलाल जी तेली, निवासी 2, गणेश टेकरी के पास, अलीपुरा, उदयपुर (राज.)

13. मुकेश पोरवाल पिता शेषमल जी पोरवाल, निवासी 20, धानमण्डी स्कूल मार्ग, धानमण्डी, उदयपुर (राज.)

14. श्रीमती किरण पालीवाल पत्नी राजकुमार जी बागोरा, निवासी 37–बी, खानपुरा कॉलोनी, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)

15. श्रीमती गीता मुन्दडा पत्नी विनोद कुमार जी मुन्दडा, निवासी धानमण्डी स्कूल मार्ग, धानमण्डी, उदयपुर (राज.)

16. श्रीमती रेखा कटारिया पत्नी अशोक जी कटारिया, निवासी न्यू भुपालपुरा, रामवाटिका के पास, ऑर्बिट कॉम्पलेक्स के सामने, उदयपुर (राज.)

17. अशोक कटारिया पिता रतनलाल जी कटारिया, निवासी न्यू भुपालपुरा, रामवाटिका के पास, ऑर्बिट कॉम्पलेक्स के सामने, उदयपुर (राज.)

18. संयम सिंघवी पिता श्री श्याम एस सिंघवी, निवासी 301, एन. रोड़, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)

19. पुरूषोत्तम पिता मांगीलाल जी वैरागी, निवासी 99, देवाली, उदयपुर (राज.)

20. घनश्याम राठी पिता श्री रमेशचन्द्र जी राठी, निवासी बी.एस.एन.एल. ऑफिस के सामने, हिरण मगरी सेक्टर नंबर 3, उदयपुर (राज.)

21. परसराम पिता अवताररराम जी माखीजा, निवासी 11–बी भुपालपुरा, रोड़ नंबर 5, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

22. केशवदास वीरवानी पिता द्वारकादास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी 130, एम. रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:04 IST
Reason: SelfAttested

22/1. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी केशवदास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (पूर्व से रेकार्ड पर रे.सं. 24)

22/2. वासुदेव वीरवानी पिता केशवदास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी मयंक कॉलोनी, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पीछे, 100 फिट शोभागपुरा रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

22/3. मुकेश वीरवानी पिता केशवदास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी मयंक कॉलोनी, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पीछे, 100 फिट शोभागपुरा रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

22/4. श्रीमती कंचन पुत्री केशवदास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी 130, एम. रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर उदयपुर (राज.)

22/5. श्रीमती भावना पुत्री केशवदास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी 130, एम. रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

22/6. श्रीमती हर्षा पुत्री केशवदास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी 130, एम. रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

23. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी द्वारकादास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी 130, एम. रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

24. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी केशवदास जी वीरवानी (सिंधी), निवासी 130, एम. रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

25. चन्द्रप्रकाश पिता मदनलाल जी चैचाणी, निवासी 342, ई–11, रोड़ नंबर 10, भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)

26. गोपीचन्द पिता द्वारकादास जी वीरवानी, निवासी 130, एम. रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

27. रमेशचन्द्र पिता द्वारकादास जी वीरवानी, निवासी 130, एम. रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

28. श्रीमती नन्दु कुमारी पत्नी गोविन्दलाल जी डांगी, निवासी सलुम्बर, आदिवासी छात्रावास के सामने, उदयपुर रोड़, सलुम्बर (राज.)

29. श्रीमती सुलोचना पत्नी रमेशचन्द्र जी वीरवानी, निवासी 130, एम. रोड़, भुपालपुरा, खानपुरा कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

30. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

31. नगर विकास प्रन्यास उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड
अधिकारी गिर्वा प्रारम्भिक डिक्री दि0
09.01.2020 प्रकरण सं. 138/2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:04 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– 1. श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल अभिभाषक रेस्पो. सं. 11

3. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पो. सं. 4 से 10

4. श्री गणेशलाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12

5. श्री हुकमसिंह देवड़ा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

6. श्री अजयसिंह हाडा अभि.रे.सं. 13, 14, 15, 20, 21, 22/1 से 22/3

7. श्री सुखदेव बारबर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3

8. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 30

———::———

निर्णय दिनांक 09–01–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट मैसर्स आर्ची आर्केड ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी नंबर 1363 से 1370, 1372 से 1380 कुल किता 17 रकबा 1.9750 हैक्टर भूमि राजस्व ग्राम आयड़, तहसील गिर्वा में स्थित है, जिसमें वादी की 0.3400 हैक्टर भूमि है। उक्त आराजी वादी फर्म द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी है, तब से वादी का आधिपत्य चला आ रहा है तथा मौके पर पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी का रकबा 0.3400 हैक्टर पृथक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23–05–2017 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 12–10–2017 को अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 4 लच्छा द्वारा अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होने पर राजीनामे के आधार पर दिनांक 23–07–2019 को अपील स्वीकार की जाकर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में रखी गयी आराजी नंबर 1366, 1367/1, 1369/1 कुल रकबा 0.4000 हैक्टर के निर्णय को यथावत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय व डिक्री अपास्त की गयी तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:04 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामे अनुसार प्रकरण में निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09–01–2020 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपील संख्या 62/2021 नारायणलाल व अन्य द्वारा दिनांक 02–08–2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी तथा अंतिम डिक्री दिनांक 10–02–2021 से रूष्ट होकर अपील संख्या 41/2021 लच्छा द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 09–04–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 138/2019 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध होने तथा दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने उनके अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अधिवक्ता के निवेदन पर न्यायालय हाजा की पत्रावली संख्या 195/2017 रेकार्ड से तलब की तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 62/2021 विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण अधिवक्ता द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रारम्भिक डिक्री की उन्हें जानकारी नहीं थी। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:04 IST
Reason: SelfAttested

अपील संख्या 41/2021 के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्टगण ने अपास में मिलीभगत करके न्यायालय के समक्ष गलत एवं अधूरे तथ्य प्रकट कर निर्णय व डिक्री पारित करवायी है। बंटवारा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी तथा बंटवारा रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23–05–2017 को प्रारम्भिक डिक्री जारी करते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का बंटवारे का वाद एवं अपीलान्ट का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया है, किन्तु अंतिम डिक्री प्रदान करने के पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गयी। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया जिससे अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण है। विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स नहीं किया गया है तथा अलग–अलग भूमि को अलग–अलग रंग से नक्शे में नहीं दर्शाया गया है। आप न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पालना नहीं कर गयी है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा आप न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामे अनुसार अपीलान्ट को 1/6 हिस्सा रकबा 0.3300 हैक्टर दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 1987 पेज 175 प्रस्तुत की।

अपील संख्या 62/2021 के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्टगण ने अपास में मिलीभगत करके न्यायालय के समक्ष गलत एवं अधूरे तथ्य प्रकट कर निर्णय व डिक्री पारित करवायी है। अपीलान्टगण द्वारा कोई राजीनामा नहीं किया गया, न ही राजीनामे पर उनके हस्ताक्षर हैं, न ही उनके अधिवक्ता ने सहमति स्वरूप कोई हस्ताक्षर किये हैं, जिससे अपीलान्टगण उक्त राजीनामे से बाध्य नहीं हैं। आप न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में रखी गयी आराजी नंबर 1366, 1367/1, 1369/1 कुल रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि को अलग करते हुए एक नयी प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जबकि अपीलीय न्यायालय में प्रारम्भिक डिक्री [illegible] भी चुनौती नहीं दी गयी है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:04 IST
Reason: SelfAttested

पुरानी प्रारम्भिक डिक्री आज भी प्रभाव में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09–01–2020 को प्रारम्भिक डिक्री इस आशय की बनायी गयी कि आराजी नंबर 1363 से 1370, 1372 से 1380 कुल किता 17 रकबा 1.9750 हैक्टर भूमि में से वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में रखी गयी आराजी नंबर 1366, 1367/1, 1369/1 कुल रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि को अलग करते हुए शेष भूमि किता 16 रकबा 1.5250 हैक्टर भूमि बनायी जाकर तहसीलदार गिर्वा को कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया, जिस पर तहसीलदार ने वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में रखी गयी आराजी नंबर 1366, 1367/1, 1369/1 कुल रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि को अलग छोडते हुए शेष बची भूमि किता 16 कुल रकबा 1.5250 हैक्टर भूमि मानते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिया, जबकि आप न्यायालय द्वारा दिनांक 23–05–2017 को जारी प्रारम्भिक डिक्री में आराजी नंबर 1363 से 1370, 1372 से 1380 कुल किता 17 रकबा 1.9750 हैक्टर का उभयपक्ष की उपस्थिति में आराजी नंबर 1366, 1367/1, 1369/1 कुल रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि विभाजन सूची में यथावत रखते हुए शेष भूमि बचे हुए पक्षकारों के मध्य हाल जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस विभानज के आदेश दिये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दूसरी प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने से भूमि के विभाजन को सही तरीके से सम्पादित नहीं किया जा सकता है और तहसीलदार द्वारा गलत तरीके से बनायी गयी प्रारम्भिक डिक्री की पालना नहीं की जा सकती है तथा ऐसी डिक्री से पक्षकारों के मूल जमाबन्दी में दर्ज हिस्से पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बंटवारा रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी गयी तथा बंटवारा रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गयी है, जो त्रुटि पूर्ण है। तहसीलदार द्वारा रेस्पोन्डेन्ट लच्छा पिता रूपा को उसके 1/6 हिस्से के तहत 0.2500 हैक्टर, रेस्पोन्डेन्ट किशन, प्रकाश, मोड़ीलाल, भागुबाई, मनोहरीबाई, शान्ताबाई, हमेरीबाई को उनके 1/6 हिस्से के तहत 0.3000 हैक्टर तथा अपीलान्ट को उनके 1/6 हिस्से के तहत केवल 0.2155 हैक्टर भूमि ही दी गयी है और वादी मैसर्स आर्ची के हिस्से में 0.0600 हैक्टर भूमि अधिक दी गयी है, जो अधिक भूमि अपीलान्ट प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:04 IST
Reason: SelfAttested

समर्थन में 1962 ए.आई.आर. (पटना) पेज 178, आर.आर.टी. 2021 (1) पेज 246, 658, 1985 0 सुप्रीम (राज.) पेज 735 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस में निवेदन किया कि किसी भी पक्षकार द्वारा विभाजन करने में अपनी असहमति प्रकट नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12–10–2017 को निर्णय पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध सिर्फ लच्छा द्वारा आप न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी थी, अन्य किसी भी पक्षकार द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 12–10–2017 के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी थी, जिससे स्पष्ट है कि उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 12–10–2017 से अन्य सभी पक्षकार सहमत थे। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध आप न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 195/2017 दर्ज किया जाकर दिनांक 06–12–2017 को मात्र आराजी नंबर 1363, 1370 व 1368 की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे एवं इसी दौरान अपीलान्ट लच्छा व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 आर्ची आर्केड के मण्ध लोक अदालत की भावना से दिनांक 02–07–2019 को राजीनामा हो गया तथा उसी राजीनामे अनुसार दिनांक 23–07–2019 को आप न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि जो राजीनामा पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया गया है, की स्थिति को यथावत रखते हुए शेष निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कर पुनः बंटवारे हेतु डिक्री पारित करने हेतु आदेश पारित किया गया है। इसी दौरान वादी/रेस्पोन्डेन्ट ने अपने हक व हिस्से की भूमि, जिसके पृथक से खसरा नंबर 1366, 2977/1367, 2978/1369 कुल किता 3 रकबा 0.4000 हैक्टर भूमि का समर्पण नगर विकास प्रन्यास में किया है, जिस पर नगर विकास प्रन्यास द्वारा 90–बी की कार्यवाही करते हुए दिनांक 17–01–2018 को भूमि को कृषि से अकृषि में रूपान्तरित कर दिया है तथा इसी क्रम में दिनांक 23–04–2018 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो एकल पट्टे के रूप में 22706 वर्गफीट है, जिसमें लगभग आधी भूमि रोड़ आदि में समर्पित की गयी है। उक्त पट्टा विलेख के आधार पर दिनांक 05–06–2021 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा निर्माण की स्वीकृति ली जाकर वर्ष 2022 में बहुमंजिला इमारत का निर्माण करवाया गया है तथा वर्ष 2023 एवं 2024 में बहुमंजिला इमारत में निर्मित समस्त आवासीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:04 IST
Reason: SelfAttested

इकाई/फ्लेट्स का विक्रय किया जा चुका है तथा पश्चात्वर्ती केता/पट्टाधारियों के पक्ष में विक्रय विलेख का निष्पादन एवं पंजीयन किया जा चुका है तथा वर्तमान में पश्चात्वर्ती केता/फ्लेटधारी अपनी–अपनी युनिट्स में निवासरत हैं। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के हक व हिस्से की भूमि को प्रारम्भ से ही राजीनामे के आधार पर पृथक किया गया है तथा वर्तमान में उक्त भूमि का स्वरूप कृषि नहीं रहा है ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की हद तक किसी प्रकार का कोई निर्णय हस्तगत अपील में पारित नहीं किया जा सकता है। अतः हस्तगत अपील में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 आर्ची आर्केड के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जहां तक लच्छा द्वारा प्रस्तुत अपील सख्या 41/2021 का प्रश्न है, अपीलान्ट लच्छा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नंबर 2982/1363/1 रकबा 0.1850 हैक्टर, आराजी नंबर 1370 रकबा 0.0250 हैक्टर, आराजी नंबर 1365/1 रकबा 0.0100 हैक्टर, आराजी नंबर 1380/2 रकबा 0.0300 हैक्टर कुल किता 4 रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि दी गयी है। इसके अलावा आराजी नंबर 1364, 1365/1, 1376, 2982/1363/3 कुल किता 4 रकबा 0.1100 हैक्टर में भी अन्य सहखातेदारों के साथ उसे भूमि दी गयी है, जबकि अपीलान्ट लच्छा द्वारा विवादित भूमि में अपना 1/6 हिस्सा बताते हुए कुल रकबा 0.3300 हैक्टर की मांग की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि रूपा जी के 3 पुत्र जगन्नाथ, सवा व लच्छा का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो जाने से रूपा की पत्नी गेंदीबाई द्वारा सहायक कलक्टर गिर्वा में अपील किये जाने से उसका भी 1/8 हिस्सा घोषित किया गया है। इस प्रकार विवादित आराजीयात में लच्छा का 1/6 हिस्सा नहीं होकर 1/8 हिस्सा ही बनाता है, जिसका रकबा 0.2468.75 हैक्टर बनता है। प्रकरण में यह भी तथ्य सामने आया है कि लच्छा द्वारा आराजी नंबर 1363 में से 0.0500 हैक्टर भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय प्रतिवादी संख्या 10 व 11 श्रीमती रेखा कटारिया एवं अशोक कटारिया के पक्ष में कर दिये जाने से समस्त आराजियात में उसका हिस्सा सिर्फ 0. 1968.95 हैक्टर ही शेष रहता है, लेकिन उसके द्वारा 0.3300 हैक्टर की मांग की जा रही है। जबकि उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहले से ही अधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:04 IST
Reason: SelfAttested

रकबा दिया जा चुका है। तद्नुसार अपीलान्ट लच्छा द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 41/2021 सारहीन होने से खारिज योग्य है।

जहां तक नारायणलाल व अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 62/2021 का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाते में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन नहीं किया गया है तथा आराजी चाह नंबर 1364 रकबा 0.0650 का भी विभाजन कर दिया गया है तथा उक्त विभाजन में उक्त कुंआ सभी पक्षकारों के हिस्से में नहीं रखकर कुछ पक्षकारों के हिस्से में रखा है, जबकि विधि अनुसार कुंए की भूमि का विभाजन किया ही नहीं जा सकता है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाता संख्या 297 में अंकित आराजी नंबर 1363 रकबा 0.4500 हैक्टर का जो विभाजन किया गया है, उसमें पक्षकारों के मध्य किये गये विभाजन में भी कुल रकबा 0.4500 हैक्टर ही आ रहा है, किन्तु खाता संख्या 296 में अंकित आराजी नंबर 1364 से 1370, 1372 से 1380 किता 16 जिसका कुल रकबा 1.5250 है, किन्तु पक्षकारों के मध्य जो विभाजन किया गया है, उनका कुल रकबा 1.6322 हैक्टर रकबा बनता है, जो मौके पर उपलब्ध भूमि से काफी अधिक रकबा है। उक्त अधिक रकबा कहां से आयेगा, यह विचारणीय बिन्दु है। प्रकरण में यह भी तथ्य सामने आया है कि जो राजीनामा न्यायालय हाजा में 02–07–2019 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, जिसके आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 आर्ची आर्केड को 0.4000 हैक्टर रकबा दिया गया है, उस पर सिर्फ आर्ची आर्केड के भागीदार दिनेश जैन, अपीलान्ट लच्छा, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 दिलीप कुमार मुन्दडा, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 मोड़ीलाल एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 किशन के ही हस्ताक्षर हैं, अन्य किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे उक्त राजीनामें के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 आर्ची आर्केड का रकबा 0.4000 हैक्टर मानने का जो निर्णय पारित किया गया है, वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण प्रकट है, क्योंकि स्वयं वादी/ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने वाद में 0.3400 हैक्टर रकबे की ही मांग की गयी थी, उनके हिस्से में जो 0.0600 हैक्टर रकबा अधिक आया है, वह कैसे आया है, यह उनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

राजस्व रेकार्ड अनुसार विवादित आराजीयात में अपीलान्टगण नारायणलाल व उनके भाई भंवरलाल [illegible]ल का 1/6 हिस्से अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:04 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.3292 हैक्टर बनता है, जबकि अपीलान्टगण को विभाजन में आराजी नंबर 2982/1363/4, 1368, 1372, 1374/1, 2980/1369/1, 1379/3, 1380/5 कुल किता 7 रकबा 0.2155 हैक्टर के अलावा आराजी नंबर 1364, 1365/1, 1376, 2982/1363/3 कुल किता 4 रकबा 0.1100 हैक्टर में अन्य सहखातेदारों के साथ उसे भूमि दी गयी है तथा आराजी नंबर 2978/1367, 2980/1369/5, 1374/3, 1374/6, 1378/1, 1378/7, 1380/1 कुल किता 7 रकबा 0.2215 हैक्टर में अन्य सहखातेदारों के साथ भूमि दी गयी है, किन्तु उक्त खाते में अपीलान्ट नारायणलाल व उसके भाईयों को कितना रकबा दिया गया है, यह स्पष्ट नहीं है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो समस्त आराजीयात का पक्षकारों के मध्य विभाजन किया गया है, उसमें भी किस खातेदारों के राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन किया जाना प्रकट नहीं होता है तथा विभाजित किया गया रकबा भी जमाबन्दी में दर्ज रकबे से कहीं अधिक है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

उपरोक्तानुसार लच्छा द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 41/2021 सारहीन होने से खारिज की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तथा नारायणलाल व अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 62/2021 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13–06–2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25–07–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार गिर्वा द्वारा फर्द बंटवारा तैयार किया जाकर एवं विधिवत सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10–02–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:04 IST
Reason: SelfAttested